न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 18/2015 (223 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2015/00032

उनवान

1. रूकमणी पुत्री दयाराम पत्नी चेतराम } जाति जाट निवासी मूढौता तह0 व जिला भरतपुर।
2. सरस्वती पुत्री दयाराम पत्नी महेन्द्र }

.....अपीलांट।

बनाम

1. ओमवती पुत्री दयाराम पत्नी हरी सिंह जाति जाट निवासी सहना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत 223 राज0काश्त0अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कल्क्टर उच्चैन दि0 18.8.15 प्र.सं. 152/12 उनवानी ओमवती बनाम रूकमणी।

अभिभाषक गण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक–23.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादिया ने एक दावा बाबत् डिक्लेरेशन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता चार रकबा 05 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम सहना तहसील रूपवास में स्थित है, जो रैस्पो0/वादिया एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पिता स्व0 दयाराम की छोडी हुई आराजी है, जिसमें अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध सरोकार नहीं है। चूंकि स्व0 दयाराम के कोई पुरूष वारिस नहीं था इसलिए वृद्धावस्था में उसकी देखभाल, सेवा चाकरी तथा कृषि भूमि की देखभाल कब्जा काश्त एवं समस्त क्रिया कलाप मृतक दयाराम की पुत्री रैस्पो0/वादिया ओमवती ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता के घर पर ही निवास करते हुए किये। मृतक दयाराम ने उनकी सेवा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

चाकरी से पूर्ण रूपेण सन्तुष्ट होकर दिनांक 01.02.1988 को रैस्पो0/वादिया के हक में वसीयत तस्दीक एवं तहरीर करा, उपपंजीयक रूपवास के समक्ष पेश कर रजिस्टर्ड करा दी। वक्त वसीयत से ही मृतक दयाराम की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर रैस्पो0/वादिया का कब्जा काश्त है। परन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने रैस्पो0/वादिया की बैक पर राजस्व कर्मचारियों से साज कर मुताबिक हिस्सा अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण, राजस्व रिकार्ड मे इंद्राज करा लिये एवं रैस्पो0/वादिया को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। अतः अपने हितो की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर, विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि निर्णय व डिक्री, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल मंसुखी हैं। अपीलण्ट को सुनवाई का मौका नहीं मिला है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पैतृक भूमि है एवं पैतृक भूमि में सभी वारिसो को बराबर के हक निहित होते हैं। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण, उसकी वसीयत किया जाना भी मान्य नहीं है। रैस्पो0 ने जिस कथित वसीयत दिनांक 01.02.1988 से मृतक दयाराम के द्वारा छोडी गयी विवादित आराजी को, रैस्पो0 के हक में किया जाना बताया है, वह वसीयत स्वयं स्व0 दयाराम ने अपने निरस्ती पत्र के द्वारा दिनांक 26.07.1993 को पंजीकृत दस्तावेज से निरस्त करवाई जा चुकी है। रैस्पो0 द्वारा उक्त निरस्त की गयी वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर, न्यायालय तहत को धोखा देकर खण्डनीय निर्णय व डिक्री हासिल की हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पो0 ने अपनी कथित वसीयत को किसी गवाह से सिद्ध नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डी0एन0जे0 2009(एस.सी.) पेज 1, ए0आई0आर0 1987(एस0सी0) पेज 1775 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचना की जाकर, विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित है कि विवादित आराजी पर रैस्पो0 का पूर्व में कब्जा था एवं आज भी रैस्पो0 के ही कब्जे काश्त में है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये हैं किन्तु उनके द्वारा वसीयत के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं ना ही विवादित आराजी को पैतृक साबित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट के बाद में जानबूझकर अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। कथित निरस्तीकरण कार्यवाही दिनांक 26.07.1993 में हमारी वसीयत का हवाला नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रजिस्टर्ड वसीयत को गवाह से सिद्ध कराने की आवश्यता नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0एल0आर0 1990(2) पेज 672 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0/वादिया का दावा कथित वसीयत दिनांक 01.02.1988 के आधार पर डिक्री किया है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील के साथ उक्त कथित वसीयत दिनांक 01.02.1988 का, रजिस्टर्ड वसीयत निरस्ती पत्र दिनांक 26.07.1997 प्रस्तुत किया है, उक्त वसीयत निरस्ती पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ''5–6 साल पहले अपनी लड़की ओमवती पुत्री दयाराम, जो ग्राम कबई तहसील नदबई में ब्याही है के नाम रजिस्टर्ड वसीयतनामा तस्दीक कराया था। अब ओमवती मेरी सेवा चाकरी नहीं कर रही है, मुझको इस पर कोई विश्वास नही है अतः ओमवती के हक में जारी वसीयत निरस्त समझी जावें'' अतः उक्त रजिस्टर्ड, वसीयत निरस्ती पत्र दिनांक 26.07.1997 के रहते, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने लायक नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2015 निरस्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर